भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

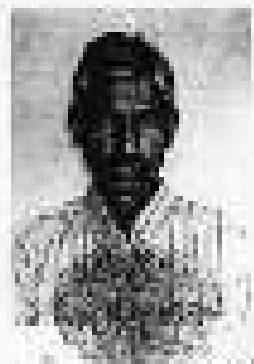

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	लखनऊ
3.	ग्राम	:	अहमामऊ
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०)	:	भूमि खसरा संख्या–655
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.182 हेक्टेअर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 287790

A.T.O. TRY LKO.

7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	बोरिंग / कुआं / अन्य	:	नहीं
10	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 4,04,598 / –
11.	मालियत	:	रू0 3,18,000 / –
12.	स्टाम्प	:	रू0 40,000 / –

चौहद्दी

खसरा नं0 655

पूरब	: नाला
पश्चिम	: खसरा संख्या–661
उत्तर	: खसरा संख्या–656
दक्षिण	: खसरा संख्या–654

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रथम पक्ष की संख्या–02 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
श्रीपाल पुत्र श्री मिश्री लाल निवासी–ग्राम मामरपक कला, परगना, तहसील व जिला लखनऊ. व	:	भगवानदीन पुत्र बली कोरी, निवासी–मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 व्यवसाय – कृषि

06AA 434912

- 1 -

सुन्दर लाल पुत्र भगवान
निवासी–खिलखिलापुरवा, म0
ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील
व जिला लखनऊ
व्यवसाय– कृषि

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख सुन्दर लाल पुत्र भगवान निवासी–खिलखिलापुरवा, म0 ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 287767

जिला लखनऊ व श्रीपाल पुत्र श्री मिश्री लाल निवासी–ग्राम माधवमऊ कला, परगना, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् भगवानदीन पुत्र बली कोरी, निवासी–मिर्जापुर, भिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 257788

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या–635 रकबा 0.1820 [redacted] स्थित–ग्राम–अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ की मालिक, काबिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित वार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 120 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरआमद राजस्व अभिलेखों में दिनांक 18.09.2004 को हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 099380

5 DEC 2006

A.T.O.T.O.
TRY.LKO

जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद

का वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि मे किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 4,04,586/- (रूपया चार लाख चार हजार पाँच सौ छियासी मात्र) के प्रतिफल मे जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त मे दी गई अनुसूची मे वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये — Rs. 100

रु. 100 — ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — G 399590

को विक्रेता सही स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता भगवानदीन पुत्र बली कोरी, निवासी–मिर्जापुर, बिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 399591

विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 39955
5 DEC 2008
A.T.O.T.O.
TRY.LKO.

कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 359979

कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम [illegible] अर्धनगरीय क्षेत्र के अतिविशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु0 17,50,000/— प्रति हैक्टेयर के हिसाब से

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 085175

विक्रीत भूमि 0.182 हेक्टेअर की मालियत रू0 3,18,900/- होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 40,000/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मीटर के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 065176

मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 085177

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

<u>परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण</u>

भूमि खसरा संख्या 855 रकबा 0.1820 स्थित ग्राम— अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेता श्रीपाल को रू0 2,68,983/– (रूपया दो लाख अड़सठ हजार नौ सौ तिरासी मात्र) द्वारा चेक संख्या 397284 दिनांकित 11.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 436575

2 विक्रेता सुन्दर लाल को रु0 1,35,603/– (रुपया एक लाख पैंतीस हजार छः सौ तीन मात्र) द्वारा चेक संख्या 139707 दिनांकित 13.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

INDIA NON JUDICIAL

[illegible]

[illegible]	[illegible]	5,000.00		20	5,020.00	1,000

[illegible]

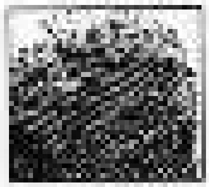

[illegible]

16/12/2006

[illegible]

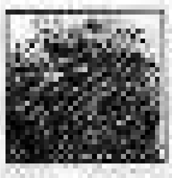

[illegible]

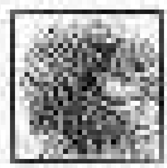

[illegible]

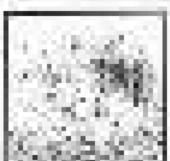

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू० 4,04,586/- (रूपया चार लाख चार हजार पाँच सौ छियासी मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

नोट : पृष्ठ संख्या-8 पर प्रथम पंक्ति का अन्तिम शब्द व द्वितीय पंक्ति का "स्थित-ग्राम-" के पढ़ने के समस्त शब्द कटे हुए हैं।

लखनऊ
दिनांक 13.12.2006

गवाह

1.

2.

विक्रेता

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अन्जर हुसैन)
एडवोकेट

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री सुनील कुमार मिश्रा

पुत्र श्री डी.डी. मिश्रा

पेशा व्यापार

निवासी 2/60, [illegible] लखनऊ

व श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं ।

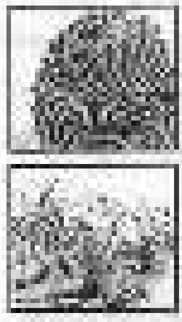

के.पी. सिंह

उप निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए. के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता:- [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

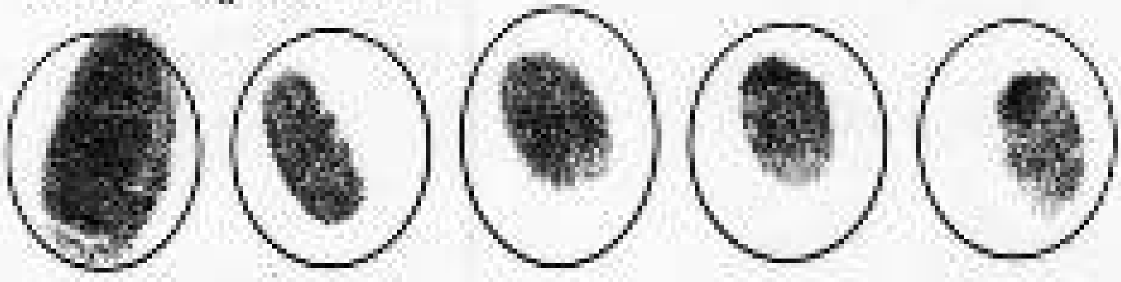

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

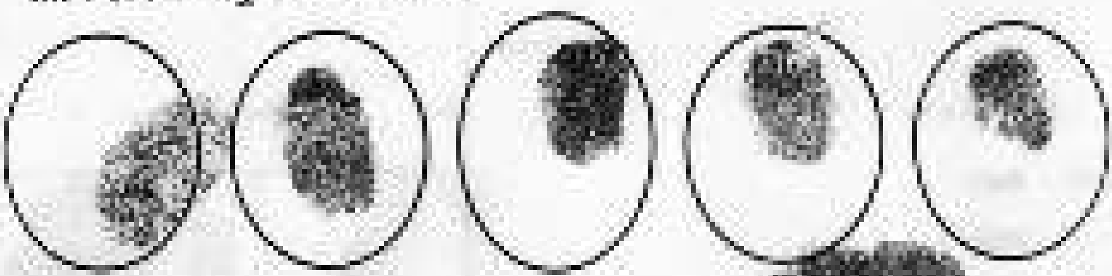

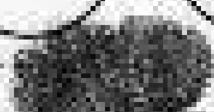

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:- [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

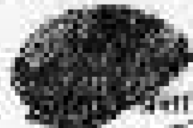

क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

[illegible]

Registration No. 11679 Year : 2006 Book No. I

3101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3102 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता:- [illegible]
.... [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर
[illegible]

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:- ....
....

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

Registration No. 11874 Year : 2006 Book No. 1

0801 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

नक्शा नजरी

ग्राम :

खसरा संख्या-

विक्रेता :

क्रेता :

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण